मुन्तकिली प्रकरण सं0 62/2018(RCMS 2018/117) अनवानी विनोद कुमार पुत्र गोविन्द राम 2. भागीरथ पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1.नारायणराम 2. कालूराम 3. मदन लाल 4. भागोबाई 5. लिछमाबाई 6. पानोबाई 7. मोहनी बाई पिसरान शंकरराम 8. बुधादेवी पत्नि शंकर राम जाति मेघवाल निवासी 6 एम एस आर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 9. गुमानाराम पुत्र बिशनाराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 10. राजस्थान सरकार जरिए उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.07.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए, उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण का 15 ए ए ए से सम्बन्धित मुकद्दमा चक 6 एम एस आर मुरब्बा नम्बर 334/431 में 24–10 बीघा व 334/432 की 23–10 बीघा कुल 48 बीघा भूमि माफी कोटवाल 1931 से जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी के पूर्वजों को दी हुई थी, तब से लेकर आज तक कब्जा चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी उपखण्ड अधिकारी ने आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के अपील पेश की गई और राजस्व अपील अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09.12.2015 से अपील उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को रिमाण्ड की थी, जो उनके समक्ष वर्तमान में लम्बित है।

उनका आगे कथन है कि मौजूदा वाद संख्या 82/2010 अनवानी गुमानाराम बनाम बुधादेवी उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के यहां लम्बित है और जिसमें तारीख पेश 16.05.2018 मुकर्रर है और गत तारीख पेशी पर जब प्रार्थी अदालत में हाजिर आया तो रेस्पोडेंट संख्या 02 कालूराम अदालत से निकलता हुआ मिला और उसने प्रार्थीगण को इजलास में कहा कि कहीं मर्जी भाग लो,

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुकद्दमा तो उसके पक्ष में ही होगा। प्रार्थीगण ने यह बात अपने वकील को बताई तो वकील ने इसकी छानबीन की तो रेस्पोडेंट संख्या 02— कालूराम जो कि बुधा देवी का लड़का है और वह तहसीलदार, अनूपगढ का ड्राईवर है। और उक्त कालूराम को प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के घर जाते देखा था उसके बाद कालूराम दो दिन पश्चात कालूराम प्रार्थीगण को मिला और कहा कि मैं तहसीलदार का ड्राइवर है, और मैनें उपखण्ड अधिकारी को कहलवा दिया है, मुकद्दमा तो मेरे पक्ष में ही होगा। इसलिए प्रार्थी को न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि धारा 144 सीपीसी का एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2016 से लम्बित है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रकरण का निर्णय करने से पूर्व धारा 144 के लम्बित उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई करने हेतु निवेदन किया तो उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई न कर यह कहा कि वह इस मुकद्दमें का निर्णय इसी हफ्ते में कर देंगे और आगे तारीख नहीं दूंगा। उपखण्ड अधिकारी के इस व्यवहार से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट गांव में एलानिया कह दिया है कि उन्होनें स्थानीय विधायक से राजनैतिक दबाव डलवा दिया है, इसलिए प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय मिलने की कोई सम्भावन नहीं है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

मैने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री तेजा सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्कों पर मनन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 82/2010 अनवानी गुमानाराम बनाम बुधा देवी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.06.2018 को पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण के गुण दोष पर कोई विचार नहीं करना है, केवल मात्र यह देखना है कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से किसी सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से मुंतकिल किये जाने योग्य है अथवा नहीं? प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर तहसीलदार, अनूपगढ के ड्राईवर और स्थानीय विधायक का राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप लगाया है, जो साधारण प्रकृति का है, ऐसा आरोप कभी भी किसी पर लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अगर वास्तव में प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत हो। अतः प्रार्थीगण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर